रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2015/ज्येष्ठ 6, 1937
No. 185] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2015/JYAISTHA 6, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

(मई 2015 के 15वें दिन पारित)

मुम्बई, 21 मई, 2015

सं. टीएएमपी/44/2012–टीएमआईएलएल .— इस प्राधिकरण ने हल्दिया डॉक कॉम्पलेक्स में कोलकाता पत्तन न्यास के बर्थ सं. 12 में प्रदत्त सेवाओं के लिए उसके दरमानों के सामान्य संशोधन टीएम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के प्रस्ताव से संबंधित मामला सं. टीएएमपी/44/2012–टीएमआईएलएल में एक आदेश दिनांक 20 मई 2014 पारित किया था। यह आदेश 10 जून 2014 को राजपत्र सं. 175 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग–III, खण्ड 4) में अधिसूचित किया गया था।

2. पृष्ठ सं. 104 पर राजपत्र अधिसूचना दिनांक 10 जून 2014 के अंग्रेज़ी पाठ में मुद्रण त्रुटि की वज़ह से चूक हुई है। तदनुसार, अंग्रेज़ी पाठ के पृष्ठ सं. 104 पर प्रथम पंक्ति में अधूरे वाक्य "पोत–प्रचालन में" को हटाया जाता है और खण्ड–2 के नीचे निम्नलिखित उप–बिन्दु सं. (viii) उक्त राजपत्र अधिसूचना के अंग्रेज़ी पाठ में पृष्ठ सं. 104 पर उपर्युक्त उप–बिन्दु सं. (ix) शामिल किया गया है:–

"(viii). 'ऑन–बोर्ड पर्यवेक्षण' अर्थात् पोत–प्रचालन में अधिक उत्पादकता/कुशलता अर्जित करने के लिए जलयान से तट/तट से जलयान तक कार्गो के स्थानांतरण प्रचालन के दौरान टीएमआईएलएल द्वारा प्रदत्त कुछ सेवाएं, ऑन–बोर्ड और ऑन–शोर दोनों, होंगी।"

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन–III/4/असा./143/2015(80)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

CORRIGENDUM

(Passed on this 15th day of May, 2015)

Mumbai, the 21st May, 2015

No. TAMP/44/2012-TMILL.—This Authority had passed an Order dated 20 May 2014 in Case No. TAMP/44/2012-TMILL relating to proposal of the TM International Logistics Limited for general revision of its Scale of Rates for the services rendered at Berth No. 12 of the Kolkata Port Trust at Haldia Dock Complex. This Order has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 10 June 2014 vide Gazette No. 175.

2. An omission has occurred due to printing error in the English Version of the Gazette Notification dated 10 June 2014 at page no. 104. Accordingly, the incomplete sentence "in vessel-operation" in the first line at page no. 104 of the English Version is deleted and the following sub-point no.(viii) under Section-2 is inserted above the sub-point no.(ix) at page no.104 in the English Version of the said Gazette Notification:

"(viii). 'On-board supervision' shall mean certain services, both on-board and on-shore, rendered by TMILL during ship to shore/shore to ship transfer operation of cargo for achieving greater productivity/ efficiency in vessel-operation."

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/2015(80)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.